ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर।

आर0 ई0 वाद सं0–46 / 2019–20

आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	2	3

21.02.24

आदेश

प्रस्तुत आर0ई0 वाद सं0–46 / 2019–20 (अदनु रवानी–बनाम–शांति देवी एवं अन्य) आवेदक–अदनु रवानी, पिता–मोना रवानी, साकिन–कल्हाजोर, अंचल–मधुपुर, जिला–देवघर के द्वारा मौजा–कल्हाजोर, थाना नम्बर–362, जमाबंदी नम्बर–38, दाग नम्बर–1171, अंश रकवा–10 डी0 भूमि से विपक्षी–शांति देवी एवं अन्य को संताल परगना काश्तकारी अधिनियम–1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् उच्छेद करने हेतु दाखिल आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया है।

2. प्राप्त आवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत कर कारण–पृच्छा की मांग करते हुए अंचल अधिकारी, मधुपुर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, मधुपुर के पत्रांक–552 / रा0, दिनांक–07.07.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा प्राप्त, जो अभिलेखबद्ध है।

3. अंचल अधिकारी, मधुपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा– कल्हाजोर, थाना नम्बर–362, जमाबंदी नम्बर–38 विजल रवानी वल्द कन्हाई रवानी वो साहेब रवानी वो बुधन रवानी पेशरान नन्दु रवानी के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है। आवेदक एवं विपक्षीगण खतियानी रैयत के वारिसान है।

4. विपक्षी का कथन है कि उभय पक्ष एक ही पर्चा से संबंध रखते है। आपसी सहमति से उक्त भूमि बदलेन स्वरूप प्राप्त कर मकान, हाता बनाकर वर्षो से बसोवास करते आ रहे हैं।

5. इस संबंध में विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं दाखिल कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त वाद संयुक्त पर्चा एवं अलग दखल कियारी से संबंधित है।

6. विषयगत् वाद, संयुक्त पर्चा एवं अलग दखल कियारी के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड के निम्नलिखित आदेश महत्वपूर्ण है :–

i. Smt. Maina Devi @ Mainabati..vs..Mohammed Asagar on 12 May, 1997 (Judgment P. K. Deb, J.) Operating part में स्पष्ट उल्लेखित है कि :– "Kabjawari" literally means possession by convenience. Such recording of Kabjawari does never infer partition amongst the co-sharers, More so when some of the plots in the same khata remained in joint.

ii. Chahbar Mahto And Ors. Vs Kaushalya Devi And Ors. On 08 October, 2001 (judgment Gurusharan Sharma, J.) Operation Part में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि :– It shows that name of parties shown in possession of particular plot was not as a result of partition by metes and bounds; rather they were in cultivating possession thereof at the time of Revisional Survey for the sake of convenience only …

7. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि आवेदक एवं विपक्षीगण जमाबंदी नं0–38 के खतियानी रैयत के वारिसान है। अंचल अधिकारी, मधुपुर से प्राप्त प्रतिवेदन एवं माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा दिनांक–12.05.1997 एवं 08.10.2001 को पारित आदेश के आलोक में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम–1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत् उच्छेदी की कार्रवाई करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उक्त वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धित

21/02/24

अनुमण्डल पदाधिकारी,
मधुपुर।

21/02/24

अनुमण्डल पदाधिकारी,
मधुपुर।

Digitally signed by AASHISH AGARWAL
Date: 2024.03.16 14:06:58 +05:30
Location: 192.168.29.96